कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द(राज.)
Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph. 02953-233526
क्रमांक : न.पा.नाथ./प्र.श.सं.अ.–21/एम्पावर्ड बैठक/22/15789 दिनांक :14.09.2022

–: प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के तहत् एम्पावर्ड कमेटी एवं अनुमोदन समिति की संयुक्त बैठक कार्यवाही विवरण :–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.8ग/नियम/डी.एल.बी./2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 के बिन्दू संख्या 01 के अनुसार गठित एम्पावर्ड कमेटी बैठक श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा नगरपालिका की अध्यक्षता में सभा गृह में दिनांक 12.09.2022 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित हुई जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार रही।

1. श्री मनीष राठी अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा एंव अध्यक्ष एम्पावर्ड कमेटी .
2. श्री कौशल कुमार खटुमरा, आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा एंव सदस्य सचिव एम्पावर्ड समिति।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार, सहायक नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
4. श्री चन्द्रमोहन कौशिक, सहायक अभियंता, नगरपालिका नाथद्वारा।
5. श्री फतहसिहं, सहायक अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
6. श्री किशन यादव, कनिष्ठ लेखाकार/विशेष आमंत्रित सदस्य, नगरपालिका नाथद्वारा।
7. श्री प्रतीक नामा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
8. श्री सौरभ मिश्रा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नाथद्वारा।
9. श्री ऋषभ जोशी, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका नाथद्वारा।

उपरोक्तानुसार कोरम पूर्ण होने पर आयुक्त एंव सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा समस्त सदस्य महानुभावों का स्वागत एंव अभिनन्दन करते हुवे निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. निर्माण शाखा/स्टोर शाखा/राजस्व शाखा की पत्रावलियों के निस्तारण पर चर्चा :–

(1) <u>कृष्णा सर्किट के अंतर्गत इन्टरप्रीटेशन सेन्टर निर्माण कार्य :–</u> पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि कृष्णा सर्किट योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग से प्राप्त बजट मद में रिस्क एण्ड कॉस्ट पर आधारित कार्य की निविदा सूचना 20/2022–23 पत्रांक 14759 दिनांक 05.08.2022 से जारी की गयी जिसमें तकनीकी मूल्यांकन पश्चात् सफल मैसर्स वामा कम्प्यूनिकेशन प्रा0 लिमिटेड की वित्तीय निविदा में न्युनतम दर 14 प्रतिशत प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त स्थानीय उपापन समिति ने निदेशालय को प्रकरण प्रेषित किया जिस पर श्रीमान् मुख्य अभियंता महोदय के अध्यक्षता में गठित तकनीकी मूल्याकंन समिति ने विश्लेषण कर संवदेक से अन्तिम चर्चा कर अन्तिम रुप सें निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक एफ. 55( )पीए/सीई/डीएलबी/नाथद्वारा /2022/ 71420 दिनांक 02.09.2022 के अनुसार उक्त कार्य में राशि 95005546.00 + 12.00 प्रतिशत अधिक आरयूआईडीपी एसओआर 2017 अर्थात् कुल व्यय राशि रू. 106406212 (दस करोड चौसठ लाख छः हजार दो सौ बारह रू0 मात्र) का दर अनुमोदन स्वीकृति प्रदान की गयी। नगरपालिका में मैसर्स वामा कन्यूनिकेशन द्वारा दिनांक 14.09.2022 को उक्त कार्य की डिजाईन, स्ट्रक्चरल ड्राईग, लेआउट, सेक्शन ड्राईग, 3डी स्केच के साथ सम्पूर्ण ड्राईग प्रस्तुत की गयी। जिसका पालिका तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौका अनुसार विस्तृत जांच की गयी।
निर्णय :– बाद विचार–विमर्श कमेटी द्वारा निदेशालय से प्राप्त पत्र अनुसार उक्त कार्य रिस्क एंड कोस्ट पर करवाने तथा इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा निदेशालय के पत्र अनुसार पालना करने हेतु पालिका के कनिष्ठ लेखाकार एंव सहायक अभियंता प्रथम को अधिकृत किया जाकर तदअनुसार आरटीपीपी एक्ट एण्ड रूल्स एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.04.2022 एवं 02.05.2022 की पूर्ण पालना एवं निदेशालय द्वारा प्रेषित पत्र की पालना करते हुए कार्य कराने तथा मैसर्स वामा कम्प्यूनिकेशन प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डिजाईन एवं ड्राईग को स्वीकृति पालिका के तकनीकी अधिकारियों के निर्णय अनुसार कर प्रस्तुत नक्शा तथा डिजाईन अनुसार करवाने हेतु अधिशाषी अभियंता तथा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया ।साथ ही उक्त निर्णय को आगामी मण्डल बैठक/बजट बैठक आदि में कार्योतर स्वीकृति श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा प्रदान कर अतिशीध्र उक्त परियोजना में कार्य पूर्ण कर समाप्त करने हेतु निर्णय लिया जाकर इस कार्य की उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को भिजवाने हेतु निर्माण शाखा एंव लेखा शाखा प्रभारी को आदेशित किया जाने का निर्णय लिया गया।

C:\Users\LENOVO\Desktop\Empowerd Comittee 12-9-22.docx

सहायक अभियन्ता नगर पालिका नाथद्वारा (राज.)

कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका नाथद्वारा | अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा | वरिष्ठ प्रारूपकार(प्रशिक्षु) नगरपालिका नाथद्वारा | आयुक्त नगरपालिका, नाथद्वारा

(2) <u>मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत संवेदक हेमा कन्स्ट्रक्शन के विरूद्व नगरपालिका द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में</u> :– पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 (मेगा हाउसिंग स्कीम) के तहत् नाथद्वारा में निर्माणाधीन 480 फ्लेटों के संबंध में पालिका स्तर पर संवेदक मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन को कार्य अवधि विस्तार पश्चात् भी कार्य में देरी किये जाने एवं एक भी लाभार्थी को आवास आवंटन नहीं होने से कार्य निरस्त (Termination) एवं फर्म को 05 वर्ष के लिए उपापन प्रक्रियाओं से विवर्जित किये जाने की कार्यवाही की गयी। जिसके कम में नगरपालिका द्वारा पत्रांक न.पा.नाथ./निर्माण/22/13005 दिनांक 22.06.2022 से प्रकरण त्रिपक्षीय अनुबंध होने से रूडिप कार्यालय में अनुमोदन किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में कार्यालय राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के पत्र कमांक रूडसिको/पी.डी. (हा)/जयपुर/2022–23/1656 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा राज्य स्तर पर उक्त कार्यवाही पर असहमति प्रकट करते हुए कार्यवाही की पुनःसमीक्षा (Review) किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसके कम में नगरपालिका द्वारा पालिका आदेश पत्रांक न.पा.नाथ./निर्माण/22/15356 दिनांक 02.09.2022 से कार्य देरी से किये गये कारणों का पूर्ण विवेचन, संवेदक को किये गये डीबार व टर्मीनेशन की कार्यवाही की पुनःसमीक्षा (Review) एवं लंबित भुगतान के साथ कार्य में Contract Agreement/Policy के अनुसार Provisional Time extention प्रकरण तैयार किये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता, नगर निगम उदयपुर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था उक्त कमेटी द्वारा नगरपरिषद राजसमन्द के पत्रांक एफ ( )नपरा/विकारा/ सीएमजेएवाई–15/2022/1183 दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 08.09.2022 को हुई बैठक में कार्य की महत्ता समयाभाव एवं भविष्य में होने वाले न्यायिक प्रकरणों से बचने हेतु कमेटी द्वारा संवेदक को शेष बचे कार्यों हेतु अन्तिम रूप से प्रोविजनल दिनांक 31.12.2022 तक की समयावधि संपादित त्रिपक्षीय अनुबंध के बिन्दु संख्या 24 के अनुसार राशि 5000/– प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति अधिरोपित करने हेतु अधीक्षण अभियंता तथा अधिशाषी अभियंता के अनुमादेन एंव लेखाशाखा के संयुक्त रिर्पोट अनुसार वर्तमान में लम्बित बिलो के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले बिलो करने हेंतु अधिकृत किया गया जो कि आयुक्त तथा अध्यक्ष महोदय के सनक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व उक्त बिलो पर नियमानुसार करने हेतु आदेशित किया गया । मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अंतर्गत जारी आदेशों के कम में शास्ति के साथ स्वीकृत करने एवं नगरपालिका द्वारा इस कार्य के को राज्य सरकार के आदेशो एंव निर्देशो अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के उद्‌देश्य से अन्तिम अवसर प्रदान करने तथा उक्त कार्य के नियमानुसार प्रोविजनल अवधि विस्तार दिसम्बर 2022 तक कर संवेदक द्वारा उक्त कार्य को किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने तथा ईकाईयों को कब्जा सुपुर्दगी के आवश्वासन पर परीक्षण उपरान्त टर्मीनेशन के कार्यवाही प्रत्याहारित करने की अभिशंषा प्राप्त होने पर चर्चा उपरान्त अन्त में बैठक में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका द्वारा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति एंव तकनीकी तथ्यो को पूर्ण विवेचन कर परीक्षण उपरान्त रूडसिको से प्राप्त पत्र के निर्देशानुसार , तकनीकी कमेटी की अनुशंषा नगरपालिका पत्रांक 13005–13019 दिनांक 22.06.2022 से मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन की उक्त कार्य से टर्मीनेशन (Termination) की कार्यवाही को प्रत्याहरित किया जाने के साथ चूकि संवेदक श्री हेमा द्वारा पालिका के विरूद इस्तागासे के जरिए इस कार्य के सम्बन्धित दर्ज पुलिस प्राथमिकी जो कि अन्वेशण की वर्तमान स्थिति अुनसार एवं वाणिज्यिक न्यायालय के प्रकरणो को पालिका हितो के विरूद पाये जाने पर श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा तथा अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त दोनो प्ररकणो को विड्रों करने तक संवेदक मैसर्स हेमा कन्स्ट्रक्शन को निकायो में एंव स्थानीय निकाय विभाग के अर्न्तगत सभी निविदाओं तथा आमंत्रित बोलियेां में आगामी 05वर्ष की कालावधि तक समस्त उपापन प्रकियाओं से विवर्जित (डीबार) यथावत् रखा जाता हैं। तथापि उसके Termination की कार्यवाही से पूर्व तकनीकी अधिकारियों द्वारा अभिशंशा अुनसार प्राप्त बिलो में से 40लाख रू भुगतान कार्य को तरलता प्रदान करने तथा इस कार्य को नियमानुसार दिसम्बर 2022 तक हर हाल में पूर्ण करने तथा आगामी माह तक कुल ईकाइयों में से 50 से अधिक या एक ब्लॉक के आंवटन तथा रहवास हेतु उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

(3) <u>नगरपालिका के काइन हाउस में पडी नकारा सामग्री की निलामी पर चर्चा</u> :– पालिका आयुक्त द्वारा बताया गया कि वर्तमान में गौवंश के लम्पी वायरस से प्रभावित होने से माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय तथा पुशुपालन विभाग के माननीय मंत्री महोदय के पालिका के काईन हाउस के निरीक्षण के दौरान गायों हेतु आईशोलेशन सेन्टर उक्त स्थान पर आरम्भ करने तथा वहा स्थानाअभाव के कारण वर्षो से काइन हाउस में जो नकारा सामग्री पडी हुई हैं उसके विभागीय नियमों अनुसार निस्तारण के निदेश प्रदान किये है इस पर अध्यक्ष महोदय ने वहा नाकारा सामग्री के कुल आकलन हेतु सम्बन्धित प्रभारी श्री योगेश शर्मा को निर्देशित किया इस पर पालिका स्टोर प्रभारी द्वारा समिति के समक्ष नकारा समानो तथा अतिकमण कार्यवाही में जब्त लोहे आदि के सामानों की सूची प्रस्तुत की इस पर अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा पालिका कनिष्ठ लेखाकार श्री किशन यादव से उक्त सामान के मूल्याकन के बारे में जानकारी चाहने पर उनके द्वारा उक्त नाकारा सामान कुल 15 से 20 लाख रू के होने का आकलन किया गया। इस पर अध्यक्ष एंव आयुक्त महोदय द्वारा उक्त बाद विचार विमर्श काइन हाउस में लम्पी वायरस को ध्यान में रखते हुए काइन हाउस गौशाला निरीक्षण के दौरान सुव्यवस्था किये जाने हेतु

कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका नाथद्वारा

सहायक अभियन्ता
नगरपालिका नाथद्वारा (राज.)

वरिष्ठ प्रारूपकार (प्रशिक्षु)
नगरपालिका नाथद्वारा

14/9/2022

आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा

निर्देश प्रदान होने से नगरपालिका द्वारा काइन हाउस में पडी उक्त समस्त नकारा सामग्री की नियमानुसार निलामी की प्रक्रिया अमल में लाये जाने का निर्णय लिया गया जो कि एक समयाबद्ध कार्यक्रम के तहत् हो और तत्काल इस कार्य हेतु पालिका कनिष्ठ लेखाकार श्री किशन यादव पालिका स्टोर प्रभारी श्री योगेश शर्मा एंव पालिका स्वास्थ्य निरिक्षक श्री ताराचन्द की संयुक्त समिति का गठन करने का आदेश प्रदान किया तथा इस बाबत् आदेश आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा को तत्काल जारी करने तथा उक्त कार्यवाही 15 अक्टूबर से पूर्व करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(4) <u>नाथद्वारा नगर में राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 एंव राष्टीय स्तर के दंगल के आयोजन पर विचार एवं दशहरा मेला कार्य हेतु निविदाऐं/प्रस्तावो को आमन्त्रित करने की पालिका आय/सामान्य मद से प्रशासनिक एंव वितिय स्वीकृति तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति तथा मेला व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन पर विचार :—</u>

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका द्वारा समिति के समक्ष नाथद्वारा नगर में राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 के आयोजन पर विचार एवं दशहरा मेला कार्य हेतु निविदाऐं आमन्त्रित की जाने की स्वीकृति तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति तथा मेला व्यवस्थाओं पर विचार का प्रस्तुत प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि राजस्थान में नाथद्वारा नगर वैष्णव सम्प्रदाय की प्रधान पीठ स्थली हैं जहां देश—विदेश से पर्यटक एवं वैष्णवजन प्रतिदिन दर्शनार्थ नाथद्वारा आते रहते हैं। जिस हेतु राष्ट्रीय स्तर का दशहरा मेला 2022 आयोजित किया जाना आवश्यक है चूकि पिछले दो वर्षो से कोरोना प्रभाव से उक्त आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पाया था अतः जनमानस की भावना अनुरूप इस बार उपलब्ध बजट अनुसार इस वर्ष इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजन किया जाना प्रस्तावित है । पालिका अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पूर्व विगत 02 वर्षो से कोविड गाइडलाइन पालना के अनुसरण में पालिका द्वारा दशहरा महोत्सव आयोजित नहीं किया गया हैं। वर्तमान में पालिका क्षेत्र निवासियों तथा आमजन व जनप्रतिनिधियों द्वारा इस वर्ष दशहरा मेला महोत्सव को विगत वर्षो की भांति हर्षोल्लास तथा वृहत स्तर पर आयोजन किये जाने हेतु मांग की जा रही हैं। जिस पर बाद विचार—विमर्श सदस्यों द्वारा तीन दिवसीय दशहरा मेला जिसमें सांस्कृतिक संध्या, कवि सम्मेलन, दंगल, रावण दहन व आतिशबाजी एवं अन्य झांकी व रोशनी व्यवस्था हेतु राशि 50.00 लाख तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ तत्समय वास्तविक व्यय के आधार पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पालिका सामान्य मद अथवा निजि आय में से अनुसार व्यय किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। पालिका अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्रायः यह देखा गया हैं कि विभिन्न स्थानों पर उक्त प्रकार के आयोजनों हेतु विभिन्न समारोह आयोजनकर्ता फर्म व व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक रूप से कम दरों पर कार्य लिया जाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रदर्शित व पूर्ण नहीं किया जाता हैं जिससे उक्त प्रकार के आयोजनों उपयोगिता व महत्ता परिलक्षित नहीं होती हैं। नाथद्वारा शहर में श्रीनाथजी का मंदिर होने से दीपावली व दशहरे पर विभिन्न प्रदेश व विदेश से वैष्णवजन तथा दर्शनार्थी श्रीनाथजी की नगरी में आते हैं। अतः पालिका क्षेत्र में उक्त प्रकार का आयोजन भव्य तथा हर्षोल्लास से बने इसके लिए विभिन्न फर्मो व आयोजनकर्ताओं से चर्चा कर उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्यो का विवरण तथा प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सबसे अच्छे आयेजनाकर्ता को पालिका द्वारा आयोजित कार्यकम के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए। जिस पर उक्त आयोजन हेतु समाचार—पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रस्ताव प्राप्त कर उक्त प्रस्तावों में से आयोजन हेतु चयन किये जाने तथा आयोजन हेतु जारी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी कार्य करने हेतु पालिका आयुक्त को अधिकृत किये जाने हेतु कहा। जिस पर सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी तथा आयोजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जाने तथा प्राप्त प्रस्तावों में चयन हेतु पालिका आयुक्त की अध्यक्षता में उपापन समिति द्वारा कराये जाने तथा मेले हेतु अन्य व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन पृथक से किये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

2. **भवन निर्माण (तामीर) के अन्तर्गत प्राप्त पत्रावलियों पर चर्चा :—**

<u>मंदिर मण्डल की पोरबन्दर धर्मशाला पुनर्विकास निर्माण पत्रावली</u> :— पालिका क्षेत्र स्थित श्री श्रीनाथजी मंदिर मण्डल द्वारा मंदिर मार्ग में मंदिर मण्डल की विविध धर्मशालाएं, दुकानें तथा भवन संचालित व संधारित हैं। मंदिर मण्डल द्वारा न्यु कॉटेज से चौपाटी तक जाने वाली मुख्य रोड पर स्थित भू—सम्पदा जिस पर पोरबन्दर वाली धर्मशाला जो वर्ष 1948 में निर्मित हो रखी हैं के 70 वर्ष से अधिक पुरानी होने से नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा उक्त धर्मशाला के भवन के पुनर्विकास (नव—निर्माण) हेतु पालिका में आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त निर्माण संस्थागत तथा मन्दिर मण्डल नाथद्वारा से सम्बन्धित होने तथा इस सन्दर्भ में पालिका में प्राप्त श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी मन्दिर मण्डल नाथद्वारा के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन अनुसार भवन विनियम नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रकृति का होने से प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व तकनीकी राय लिये जाने की आवश्यकता हैं। इस पर बार विचार विर्मशः समिति द्वारा प्रकरण में मंदिर मण्डल नाथद्वारा द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर जोन उदयपुर से प्रकरण के संबंध में तकनीकी राय

सहायक अभियन्ता
नगर पालिका नाथद्वारा

C:\Users\LENOVO\Desktop\Empowerd Comittee 12 9-22.docx

कनिष्ठ लेखाकार

अध्यक्ष
नगरपालिका नाथद्वारा

वरिष्ठ प्रारूपकार (प्रशिक्षु)
नगरपालिका नाथद्वारा

आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा

प्राप्त कर तदनुरूप भवन विनियम नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार मंदिर मण्डल से प्राप्त आवेदन का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।

3. **<u>इन्दिरा रसोई योजना के अंतर्गत चयनित स्थान–परिवर्तन पर चर्चा</u> :–** वित्तीय वर्ष 2022–23 में माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार नाथद्वारा पालिका क्षेत्र में 02 नवीन इन्दिरा रसोई की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है जिसके अंतर्गत पालिका द्वारा नवीन रसोई स्थापना हेतु राजकीय गोवर्धन चिकित्सालय नाथद्वारा एवं लालबाग रैन बसेरा स्थान चयनित किया गया है। परन्तु लालबाग रैन बसेरा पर इन्दिरा रसोई स्थापना हेतु स्थान जनप्रतिनिधियों द्वारा मौका अनुसार इन्दिरा रसोई हेतु उक्त स्थान को उपर्युक्त नहीं बताया है क्योंकि उक्त स्थान पर इन्दिरा रसोई योजना का लाभ अधिक से अधिक आमजन को मिलने की संभावना कम है। जिसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बार अस्थाई तौर पर उक्त द्वितीय इन्दिरा रसोई को लालबाग रैन बसेरा में आरम्भ कर आयुक्त महोदय को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र उक्त रसोई को मन्दिर के आस पास के क्षेत्र में उपयुक्त स्थान चयनित करने अथवा किराये पर स्थान उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही कर निदेशालय को इस बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. **<u>सरस बूथ के स्थानान्तरण प्रकरणः–</u>** पालिका आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाल में ही बजट घोषणा अनुसार डेयरी बूथो को लाटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था जिसमें से एंक स्थान रसाला चौक में आवंटित डेयरी बूथ जो कि आवेदक श्री मनीष को आवंटन किया था उसके सन्दर्भ में मन्दिर मण्डल द्वारा आपत्ति प्राप्त होने तथा शहरी यातायात के दृष्टि से परीक्षण उपरान्त स्थान परिवर्तन हेतु नवीन स्थान 120 फीट त्रिनेत्र सर्कल नीम के पेड के नीचे यातायात प्रभारी तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा उपयुक्त पाये जाने निदेशालय के द्वारा जारी नवीनतम आदेश अनुसार स्थानान्तरण किया जाना है इस पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से उक्त स्थानान्तरण का अनुमोदन करते हुए निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों अनुरूप उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु आयुक्त नगर पालिका नाथद्वारा को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

5. **<u>प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की प्रगति कार्यकम एवं समीक्षा</u> :–** नगरपालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत् निष्पादित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गयी तथा पालिका को प्राप्त नवीन आवेदनो के सन्दर्भ में आबादी के पट्टो नें प्रमाणित रिर्पोट हेतु पटवारी रिर्पोट के जावक संख्या के साथ ही प्राप्त होने के सम्बन्ध मे तहसीलदार नाथद्वारा को पत्र प्रेशित करने तथा अभियान के तहत् प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र किये जाने निर्देश प्रदान किये गये। इसके साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत् राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छुट के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किये जावें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई।

सहायक अभियन्ता एंव कनिष्ठ अभियन्ता सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति नगरपालिका नाथद्वारा

सहायक नगर नियोजक एंव सदस्य ले आउट प्लान अनु.समिति नगरपालिका नाथद्वारा

सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनु. एंव आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष नगरपालिका एंव अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति, नगरपालिका नाथद्वारा

सहायक अभियन्ता नगर पालिका नाथद्वारा (राज.) — वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका नाथद्वारा — आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा — अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा

क्रमांक : न.पा.नाथ./प्र.श.सं.अ.–21/एम्पावर्ड बैठक/22/15789–15794 **दिनांक :14.09.2022**

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान् अध्यक्ष नगरपालिका एंव अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति, नगरपालिका नाथद्वारा
2. सहायक नगर नियोजक एंव सदस्य ले आउट प्लान अनु.समिति नगरपालिका नाथद्वारा।
3. सहायक अभियन्ता एंव कनिष्ठ अभियन्ता, सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति नगरपालिका नाथद्वारा।
4- सुरक्षित पत्रावली।

सहायक अभियन्ता एंव कनिष्ठ अभियन्ता सदस्य ले आउट प्लान अनु. समिति नगरपालिका नाथद्वारा

सहायक नगर नियोजक एंव सदस्य ले आउट प्लान अनु.समिति नगरपालिका नाथद्वारा

सदस्य सचिव ले आउट प्लान अनु. एंव आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष नगरपालिका एंव अध्यक्ष ले आउट प्लान अनु. समिति, नगरपालिका नाथद्वारा

सहायक अभियन्ता नगर पालिका नाथद्वारा — कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका नाथद्वारा — वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका नाथद्वारा — आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा — अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा